परिचय

<u>स्क्रैप और ई-कचरे के निपटान के लिए ठेकेदारों का पैनल</u>

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), कानपुर का आशय स्क्रैप निपटान के लिए ठेकेदारों का एक पैनल तैयार करने का है, जैसा कि अनुलग्नक-I में दर्शाया गया है। पैनल शुरू में 01 मई 2026 से 31 मार्च, 2027 तक एक वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगा और पैनल में शामिल ठेकेदारों के संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन बैंक के विवेक पर दो साल की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

ठेकेदारों के पैनल के लिए आवेदन पत्र इस वेबसाइट (www.rbi.org.in) निविदा दस्तावेज से डाउनलोड किए जा सकते हैं या मानव संसाधन प्रबंध विभाग, आरबीआई, कानपुर से प्राप्त किए जा सकते हैं।

"स्क्रैप के निपटान के लिए ठेकेदारों के पैनल के लिए आवेदन" के रूप में उल्लिखित विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र, जो उप महाप्रबंधक, मानव संसाधन प्रबंध विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर - 208001 को संबोधित हों और जिन्हें 15 अप्रैल, 2026 को 15.00 बजे तक प्रस्तुत किया जा सकता है।

इसके लिए बैंक किसी भी या सभी आवेदनों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार बिना कोई कारण बताए सुरक्षित रखता है।

इस संबंध में किसी भी प्रश्न के लिए कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक, मानव संसाधन प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर - 208001 से संपर्क करें या फोन 0512 -2303882 पर संपर्क करें या bookingkanpur@rbi.org.in को ईमेल भेजें।

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
कानपुर

भारतीय रिज़र्व बैंक

मानव संसाधन प्रबंध विभाग

कानपुर

बैंक परिसर और बैंक की आवासीय कॉलोनियों के लिए अपशिष्ट प्रबंधन एजेंसी का पैनल में शामिल किये जाने हेतु

निविदा

परिचय

<u>स्क्रैप और ई-कचरे के निपटान के लिए ठेकेदारों का पैनल</u>

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), कानपुर का आशय स्क्रैप निपटान के लिए ठेकेदारों का एक पैनल तैयार करने का है, जैसा कि अनुलग्नक-I में दर्शाया गया है। पैनल शुरू में 01 मई 2026 से 31 मार्च, 2027 तक एक वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगा और पैनल में शामिल ठेकेदारों के संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन बैंक के विवेक पर दो साल की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

ठेकेदारों के पैनल के लिए आवेदन पत्र इस वेबसाइट (www.rbi.org.in) निविदा दस्तावेज से डाउनलोड किए जा सकते हैं या मानव संसाधन प्रबंध विभाग, आरबीआई, कानपुर से प्राप्त किए जा सकते हैं।

"स्क्रैप के निपटान के लिए ठेकेदारों के पैनल के लिए आवेदन" के रूप में उल्लिखित विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र, जो उप महाप्रबंधक, मानव संसाधन प्रबंध विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर - 208001 को संबोधित हों और जिन्हें 15 अप्रैल, 2026 को 15.00 बजे तक प्रस्तुत किया जा सकता है।

इसके लिए बैंक किसी भी या सभी आवेदनों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार बिना कोई कारण बताए सुरक्षित रखता है।

इस संबंध में किसी भी प्रश्न के लिए कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक, मानव संसाधन प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर - 208001 से संपर्क करें या फोन 0512 -2303882 पर संपर्क करें या bookingkanpur@rbi.org.in को ईमेल भेजें।

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
कानपुर

अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, मानव संसाधन प्रबंध विभाग, कानपुर ने इच्छुक पार्टियों को संविदा/अनुबंध की पृष्ठभूमि की जानकारी देने के लिए यह दस्तावेज तैयार किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने यहां दी गई जानकारी तैयार करने में उचित सावधानी बरती है और मानता है कि यह सही है। इस दस्तावेज़ का उद्देश्य इच्छुक पार्टियों को काम की जानकारी प्रदान करना है। यह दस्तावेज न तो कोई करार है और न ही भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संभावित बोलीदाताओं या किसी अन्य व्यक्ति के लिए एक प्रस्ताव है। यह बोली दस्तावेज सभी व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है, और न तो भारतीय रिज़र्व बैंक और न ही इसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसी और न ही उनके किसी भी संबंधित अधिकारी, कर्मचारियों, एजेंटों या सलाहकारों के लिए यह संभव है कि वे इस दस्तावेज़ को पढ़ने या उपयोग करने वाले प्रत्येक पक्ष की विशेष आवश्यकताओं पर विचार करें। इस दस्तावेज़ में निहित धारणाएं, आकलन, कथन और जानकारी पूर्ण, सटीक, पर्याप्त या सही नहीं भी हो सकती है। इसलिए, प्रत्येक बोलीदाता को अपनी तरफ से जांच और विश्लेषण करना चाहिए और इस बोली दस्तावेज में निहित मान्यताओं, आकलन, बयानों और सूचनाओं की सटीकता, पर्याप्तता, शुद्धता, विश्वसनीयता और पूर्णता की जांच करनी चाहिए और उपयुक्त स्रोतों से स्वतंत्र सलाह प्राप्त करनी चाहिए।

भारतीय रिज़र्व बैंक या उसके कर्मचारी न कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी देते हैं और किसी भी कानून, क़ानूनी नियमों या विनियमों या अपकृत्य, प्रतिपूर्ति के सिद्धांतों या अनुचित संवर्धन या अन्यथा किसी भी नुकसान, क्षति, लागत या व्यय के लिए किसी भी व्यक्ति के प्रति बैंक का कोई दायित्व नहीं होगा, जो इस दस्तावेज़ में निहित किसी भी चीज़ के कारण उत्पन्न हो सकता है या खर्च या देय हो सकता है, बोली की सटीकता, पर्याप्तता, शुद्धता, विश्वसनीयता या पूर्णता और उसमें निहित किसी भी मूल्यांकन, धारणा या जानकारी को शामिल करना या इस दस्तावेज़ का हिस्सा माना जाता है।

इस दस्तावेज़ में जानकारी संपूर्ण होने का आशय नहीं है। इच्छुक पार्टियों को अपनी स्वयं की पूछताछ करने की आवश्यकता होती है और उत्तरदाताओं को लिखित रूप में पुष्टि करने की आवश्यकता होगी कि उन्होंने ऐसा किया है और वे निविदा प्रस्तुत करने में केवल आरबीआई द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर भरोसा नहीं करते हैं। यह सूचना इस आधार पर दी जाती है कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक या उसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसी या उनके किसी भी संबंधित अधिकारी, कर्मचारियों, एजेंटों या सलाहकारों के लिए बाध्यकारी नहीं है।

इस दस्तावेज को जारी करने का अर्थ यह नहीं है कि भारतीय रिज़र्व बैंक किसी भी बोलीदाता का चयन करने या नियुक्त करने के लिए बाध्य है और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह बिना कोई कारण बताए सभी या किसी भी बोलीदाताओं को अस्वीकार न करे। भारतीय रिज़र्व बैंक भी निविदा के साथ आगे न बढ़ने या निविदा के विन्यास को बदलने, इस दस्तावेज़ में परिलक्षित समय सारिणी को बदलने या लागू की जाने वाली प्रक्रिया या पद्धति को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यह रुचि व्यक्त करने वाले किसी भी पक्ष/बोलीदाता के साथ मामले पर आगे चर्चा करने से इनकार

करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। रुचि व्यक्त करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी प्रकार की लागत की प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा।

यह एक खुली निविदा है। वे बोलीदाता/विक्रेता जो इस दस्तावेज में दर्शाए गए पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और उसमें निर्देशित विवरण प्रस्तुत करते हैं, वे इस निविदा में भाग लेने के पात्र हैं। बोलीदाता बोलियां जमा करने से पहले इस निविदा में भाग लेने के लिए अपनी पात्रता की जांच कर सकते हैं।

स्क्रैप विक्रेताओं का पैनल

विषय-सूची

वस्तु विवरण/सूची	
खंड I	सामान्य निर्देश और विशेष शर्तें
खंड II	निविदा द्वारा भरा जाने वाला विवरण
खंड III	कार्य अनुभव
अनुलग्नक I	काम का संभावित दायरा

खंड I

सामान्य निर्देश

1. पैनल के लिए आवेदन पत्र खंड II में प्रारूप में प्रस्तुत किया जाएगा जो उसमें उल्लिखित विवरण/दस्तावेजों द्वारा विधिवत समर्थित हो। आवश्यक दस्तावेजों द्वारा समर्थित नहीं होने वाले आवेदन को विधिवत हस्ताक्षरित नहीं किया गया है, तो उसे अमान्य माना जाएगा और अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी माना जाएगा।

2. एक वित्तीय वर्ष में कार्य का कुल मूल्य ₹1 लाख होने की संभावना है।

3. ठेकेदारों के पास इसी तरह के काम में कम से कम 1 साल का अनुभव होना चाहिए, और उन्होंने पिछले पाँच सालों में (वित्त वर्ष 2025-26 सहित) कुल मिलाकर ₹ 1 लाख तक के काम पूरे किए हों।

4. यह पैनलीकरण होने पर पैनल 31 मार्च, 2029 तक की अवधि के लिए वैध रहेगा, बशर्ते कार्य निष्पादन संतोषजनक हो।

5. स्क्रैप के निपटान के लिए पैनल में शामिल आपूर्तिकर्ताओं से मूल्य कोटेशन (सामान्यत वार्षिक आधार पर) आमंत्रित किया जाएगा। कोटेशन, बैंक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित नियमों से प्रस्तुत किया जाएगा। अनुलग्नक-I में सूचीबद्ध स्क्रैप मदों के लिए मूल्य बोलियां ठेकेदारों से उनके पैनल में शामिल होने के बाद मांगी जाएंगी। पैनल में शामिल ठेकेदारों के लिए यह बाध्यकारी होगा कि वे बैंक द्वारा मांगे जाने पर अपनी मूल्य बोलियां पेश करें।

6. प्रत्येक स्क्रैप आइटम के लिए ठेकेदार द्वारा अलग-अलग मूल्य बोलियां प्रस्तुत की जाएंगी।

7. पैनल में शामिल ठेकेदारों से प्राप्त मूल्य बोलियों के आधार पर, स्क्रैप मदों की बिक्री के लिए अनुबंध की पेशकश की जाएगी। अनुपयोगी वस्तुओं की बिक्री के लिए इस तरह के अनुबंध एक वर्ष की अवधि के लिए लागू होंगे।

8. भुगतान का तरीका - स्क्रैप के निपटान के लिए नामित ठेकेदार, बैंक द्वारा जारी चालान पर एनईएफटी के माध्यम से स्क्रैप निपटान से प्राप्त आय/राशि का भुगतान करेगा।

9. कार्य के लिए अधिकृत ठेकेदार को स्क्रैप की कुल आय पर लागू टीसीएस/जीएसटी का वहन करना होगा।

10. यह कार्य बैंक के लिए सुविधाजनक समय पर किया जाएगा।

11. ठेकेदार किसी अन्य पार्टी को अनुबंध नहीं सौंपेगा और बैंक की सहमति के अलावा अनुबंध के किसी भी हिस्से का उप-ठेका नहीं देगा।

12. ठेकेदार उपरोक्त कार्य के लिए तैनात कर्मचारियों, आकस्मिक या अन्यथा की सभी संविदात्मक/कानूनी/कल्याण आदि आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, और बैंक के नाम का उपयोग किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाना चाहिए।

13. बैंक उपरोक्त अनुबंध के संबंध में किए गए किसी भी खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए ठेकेदार के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा।

14. यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उपरोक्त अनुबंध के संबंध में या अन्यथा बैंक में काम करने वाले ठेकेदार या कोई भी कामगार/कर्मचारी/भागीदार/सहयोगी, आदि, भारतीय रिज़र्व बैंक के कर्मचारी होने का दावा नहीं करेंगे और न ही वे अनुबंध अवधि के दौरान/बाद में भारतीय रिज़र्व बैंक के परिसर के भीतर या बाहर किसी भी अनधिकृत उद्देश्य के लिए बैंक द्वारा जारी सुरक्षा/पहचान पास का दुरुपयोग नहीं करेंगे। ठेकेदार, इस पहलू के बारे में अपने कर्मियों/श्रमिकों को विधिवत संवेदनशील बनाएगा और उक्त खंड के उल्लंघन के कारण होने वाले किसी भी नुकसान के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा।

15. ठेकेदार, इस अनुबंध के उद्देश्य के लिए तैनात श्रमिकों/कर्मचारियों/वाहनों के सत्यापन और पहचान के लिए जिम्मेदार होगा और बैंक के परिसर में प्रवेश करने/जाने से पहले बैंक के अधिकारियों से आवश्यक सुरक्षा पास आदि प्राप्त करेगा। इसमें इस अनुबंध की अवधि के दौरान बैंक द्वारा अपेक्षित पुलिस/परिवहन अधिकारियों आदि से आवश्यक सत्यापन/प्रमाणन प्राप्त करना भी शामिल होगा। ठेकेदार ऐसे सभी सत्यापन/प्रमाणन को वर्तमान और वैध स्थिति में बनाए रखेगा। इस अनुबंध के प्रयोजन के लिए तैनात श्रमिकों के पुलिस सत्यापन की एक प्रति बैंक को प्रस्तुत की जाएगी।

16. ठेकेदार को सभी श्रम कानूनों, विशेष रूप से ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 और लागू विभिन्न राज्यों के नियमों का पालन करना होगा। ठेकेदार क्षेत्रीय श्रम आयुक्त द्वारा अपेक्षित सभी रजिस्टरों को बनाए रखेगा और जब भी बुलाया जाए, बैंक या उसके प्रतिनिधि को इसे प्रस्तुत करना चाहिए।

17. ठेकेदार कानपुर में उपरोक्त अनुबंध के संबंध में तैनात पता, टेलीफोन नंबर आदि सहित अधिकृत व्यक्ति के संपर्क विवरण प्रदान करेगा।

18. ठेकेदार किसी भी मजदूर या अनुबंध के निष्पादन के लिए उसके द्वारा तैनात अन्य व्यक्तियों द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधान के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

19. उपरोक्त अनुबंध से उत्पन्न होने वाले या उससे संबंधित सभी विवादों को कानपुर में उत्पन्न माना जाएगा और केवल कानपुर के न्यायालयों के पास ही इसे निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र होगा।

20. बैंक ठेकेदार को दो महीने का नोटिस देने के बाद अनुबंध समाप्त कर सकता है। यदि ठेकेदार अनुबंध को समाप्त करने का इरादा रखता है; यह बैंक को दो महीने का नोटिस देगा। फर्म के लिए यह बाध्यकारी है कि वह दो महीने की नोटिस अवधि के दौरान स्क्रैप एकत्र करना जारी रखे, भले ही बर्खास्तगी का नोटिस दिया गया हो।

21. नीचे बताई गई किसी एक या अधिक घटनाओं की घटना की स्थिति में पैनल में शामिल ठेकेदारों के नाम अनुमोदित पैनल से हटा दिए जाएंगे:
ए) लगातार दो मौकों पर निविदाओं/कोटेशन को आमंत्रित करने के लिए जारी किए गए नोटिस का जवाब देने में विफलता।
बी) दिए गए अनुबंधों को निष्पादित करने में विफलता।
सी) ठेके की अवधि के दौरान ठेकेदारों का निष्पादन असंतोषजनक पाया जाता है।
डी) ठेके की महत्वपूर्ण शर्तों जैसे समय-सारिणी का पालन, निपटाए गए स्क्रैप की आय के भुगतान में देरी आदि का लगातार उल्लंघन।
ई) पैनल में शामिल किए जाने के नियमों और शर्तों का पालन करने में विफलता, मांगे गए विवरण प्रस्तुत न करना, पंजीकरण / पैनल में शामिल होने के समय गलत विवरण/घोषणा/उपक्रम/सूचना प्रस्तुत करने के लिए देखा गया।

22. सभी स्क्रैप बैंक द्वारा सूचित की तारीख से सात दिनों के भीतर लिया जाना चाहिए।

23. स्क्रैप के परिवहन के संबंध में लागत पूरी तरह से ठेकेदार द्वारा वहन की जाएगी।

24. सभी जानकारी, पत्राचार/पत्र उप महाप्रबंधक, मासंप्रवि, भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर को संबोधित किए जाएंगे या bookingkanpur@rbi.org.in को ईमेल द्वारा भेजे जा सकते हैं।

25. निविदाकर्ता को दरों को भरने के लिए केवल बैंक द्वारा जारी किए गए फॉर्म का उपयोग करना चाहिए। निविदा फॉर्म अंग्रेजी / हिंदी में भरा जाना चाहिए और सभी प्रविष्टियां हाथ से की जानी चाहिए और स्याही से लिखी जानी चाहिए। यदि कोई दस्तावेज गुम है या अहस्ताक्षरित है, तो निविदा को बैंक द्वारा अपने विवेक पर अमान्य माना जाएगा।

खंड II

आवेदक का विवरण (अनिवार्य जानकारी)

क्रम	विवरण	जानकारी
1	आवेदक/फर्म का नाम	
2	फर्म/सप्लायर (लिमिटेड कंपनी/पार्टनरशिप फर्म आदि) का गठन (पार्टनरशिप डीड/इनकॉर्पोरेशन सर्टिफ़िकेशन की प्रमाणित प्रति साथ में लगानी है)	
3.	स्थापना का वर्ष	
4.	पंजीकरण संख्या/व्यापार लाइसेंस संख्या/ एमओयू/एमओए, यदि लागू हो (फोटोकॉपी संलग्न की जानी है)	
5.	संचार के लिए पता या पंजीकृत पता	
6	टेलीफोन नं. और संपर्क हेतु व्यक्ति का ई-मेल	
7	मालिकों/साझेदारों/निदेशकों के नाम, पते और टेलीफ़ोन नंबर	
8	पैन/टैन नं.	
9	माल और सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन), यदि कोई हो।	
10	बैंक का नाम और शाखा बैंक खाता विवरण- खाता संख्या/आईएफएससी कोड/नाम/शाखा/खाता प्रकार- (एनईएफटी के माध्यम से भुगतान करने के लिए)	
11	क्या आप वर्तमान में या अतीत में किसी अन्य अनुबंध में आरबीआई/सरकार/पीएसयू से जुड़े हैं? यदि हां, तो विवरण दें	
12	पिछले 5 वर्षों के दौरान निष्पादित अनुबंध के संबंध में या निष्पादित किए जा रहे अनुबंध के संबंध में सिविल मुकदमेबाजी/अन्य मुकदमेबाजी, यदि कोई हो, का विवरण। यदि हां, तो कृपया अनुबंध का	

	विवरण जैसे नियोक्ता, कार्य की प्रकृति, अनुबंध मूल्य, कार्य आदेश और मुकदमेबाजी के संक्षिप्त विवरण के साथ तारीख प्रस्तुत करें	
13	31 मार्च, 2026 तक पिछले पांच वर्षों के दौरान निष्पादित अनुभव/अनुबंध का विवरण (सहायक दस्तावेज/बैंक स्टेटमेंट संलग्न किए जाएँ)	
14	कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी	

मैं/हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी सही है और सभी प्रकार से सत्य है। किसी भी असत्य जानकारी को प्रस्तुत करने या किसी भी भौतिक जानकारी को छिपाने के मामले में, आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगा।

हस्ताक्षर:

नाम:

फर्म का नाम :

पता :

(सील) तारीख

[बैंक आवेदनों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखने के अलावा किसी भी नियम और शर्तों को जोड़ने/हटाने/संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक द्वारा आवेदन स्वीकार करने से अनुबंध दिए जाने की गारंटी नहीं होगी।

आवेदन को अग्रेषित किया जाए:

उप महाप्रबंधक

मासंप्रवि

भारतीय रिज़र्व बैंक

कानपुर

ठेकेदारों द्वारा दी गई हस्ताक्षरित घोषणा

1. मैं/हम प्रासंगिक निर्देशों, नियमों और शर्तों को पढ़ते हैं और मैं/हम समझते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ किया गया मेरा करार/अनुबंध यदि भविष्य में किसी भी समय गलत पाया जाता है तो अमान्य हो जाएगा।

2. मैं/हम इस बात से सहमत हैं कि ठेकेदार के अंतिम चयन के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक का निर्णय बाध्यकारी होगा।

3. मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार ऊपर दी गई जानकारी सत्य है।

4. मैं/हम सहमत हैं कि यदि मेरे द्वारा किए गए कार्य के संबंध में कोई सत्यापन किया जाता है तो मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

स्थान ____________

तारीख _____________

हस्ताक्षर

स्टाम्प के साथ आवेदक के हस्ताक्षर

खंड III

पिछला अनुभव, आरबीआई/सरकारी विभाग/पीएसयू के साथ पिछले पांच वर्षों के दौरान इकाई द्वारा निष्पादित कार्यों की सूची (31 मार्च, 2026 को या उससे पहले पूरे किए गए कार्य)

क्रम	कार्य का नाम तथा स्थान	अनुबंध में शामिल कार्य की प्रकृति	अनुबंध राशि (₹)	अनुबंध की अवधि	यदि अनुबंध समाप्त कर दिया गया था/अधूरा छोड़ दिया गया था, तो उसका पूरा विवरण दें।	पूरा होने में देरी के कारण सहित कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी, यदि कोई हो।

घोषणा

उपरोक्त जानकारी सत्य है। बैंक द्वारा पूछे जाने वाले मामले में मैं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करूंगा।

मुहर के साथ आवेदक के हस्ताक्षर

अनुलग्नक I

संभावित कार्यक्षेत्र

1. बैंक परिसरों और बैंक की आवासीय कॉलोनियों से स्क्रैप (कबाड़) हटाना

स्क्रैप वस्तुओं की सूची:

क्रम	**स्क्रैप वस्तुएं**
1	कागज की बर्बादी और संबंधित वस्तुएं
2	घरेलू कचरा
3	स्टेशनरी अपशिष्ट
4	कार्यालय परिसर का अपशिष्ट
5	बैंक द्वारा अन्य कोई निर्देश

1. साइट पर से कचरा (स्क्रैप) संग्रह करना, **बैंक परिसर और बैंक की आवासीय कॉलोनियों से कचरा (स्क्रैप) हटाना।**
2. विभिन्न निर्माण स्थलों से मलबा एकत्र करना, **बैंक परिसर और बैंक की आवासीय कॉलोनियों से कचरा (स्क्रैप) हटाना।**
3. आवधिक/ऑन-डिमांड - डोर टू डोर कचरा संग्रह, पृथक्करण, और **बैंक की आवासीय कॉलोनियों से कचरा (स्क्रैप) हटाना।**
4. विशिष्ट अनुरोध पर ई-कचरा (स्क्रैप) हटाना।
5. विशिष्ट अनुरोध पर भारी औद्योगिक अपशिष्ट हटाना।
6. कोई अन्य कार्य जैसा कि बैंक द्वारा अपेक्षित हो।